App – A

Crim-1

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

न जगन्नाथ बनाम चिरंजीलाल

किस्म मुकदमा : प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

मा नम्बर 628/2025

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.11.2025	मूल वाद के साथ अधिवक्ता श्री बनवारी लाल यादव द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमारे द्वारा मजमून प्रार्थना पत्र इसके साथ संलग्न नकलें राजस्व अभिलेख पर गौर किया गया। एवं प्रथम पक्ष की एकतरफा बहस सूनी गई। प्रकरण में अपूर्णिय क्षति की संभावना को देखते हुए प्रकरण में आगामी पेशी तक आराजी ख0नं0 1811 रकबा 0.2150 है0, ख0नं0 1814 रकबा 0.3035 है0, ख0नं0 1815 रकबा 0.0253 है0 वाके ग्राम कस्बा निवाई पटवार हल्का कस्बा निवाई प्रथम तह0 निवाई में स्थित भूमि के किसी भी भू–भाग को रहनदान बेचान नहीं करें तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में प्रार्थी को बोने–जोतने में किसी प्रकार से बाधा मजाहमत हस्तक्षेप नहीं करे एवं **रिकॉर्ड एवं मौके की** यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है यदि अप्रार्थीगण को इस आदेश से कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करें। तलबी अप्रार्थीगण की जरिए रजि0एडि की जावे। पत्रावली आगामी दिनांक 20/1/26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	जारी 7694-7698 28/11/25
20/1/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित। पत्रावली वास्ते पेश होके तलबी/ट्रेक रिपोर्ट आगामी तारीख 21/1/26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	Not pressed जगन्नाथ का बयान
21/1/26	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी स्वंय भी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया	

कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने के कारण प्रार्थी इस पत्रावली को आगे नहीं चलाना चाहता है। इसी स्तर पर Not press करना चाहता है। अतानुसार कथन कर पत्रावली में Not press अंकित कर हस्ताक्षर किया।

अतः अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो आकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)